विषय सूची

विवरण	अनुच्छेद	सन्दर्भ पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v–vii
कार्यपालिक सारांश		ix–xiii
अध्याय I: राज्य वित्त का विहंगावलोकन		
राज्य की रुपरेखा	1.1	1
राज्य की जनसांख्यिकी	1.1.1	1
राज्य की अर्थव्यवस्था	1.1.2	2
सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय	1.1.2.1	2
जीएसवीए में क्षेत्रवार योगदान	1.1.2.2	3
वित्त की संक्षिप्त झलक	1.1.3	5
निधियों के स्रोत और उपयोग	1.1.4	6
सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त झलक	1.1.5	6
राज्य की समेकित निधि	1.2	7
राजस्व प्राप्तियां	1.2.1	8
पूंजीगत प्राप्तियां	1.2.2	20
वित्त आयोग के अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े	1.2.3	22
व्यय	1.2.4	22
राजस्व व्यय	1.2.4.1	25
पूंजीगत व्यय	1.2.4.2	34
आकस्मिकता निधि	1.3	41
लोक लेखा	1.4	42
निवल लोक लेखा शेष	1.4.1	42
आरक्षित निधियां	1.4.2	43
रोकड़ शेष	1.4.3	46
राजकोषीय स्थिरता	1.5	48
सार्वजनिक दायित्व प्रबंधन	1.5.1	49
देयताओं की रुपरेखा: घटक	1.5.1.1	50
उधार ली गई निधियों का उपयोग	1.5.1.2	52
ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और पुनर्भुगतान	1.5.1.3	53
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण स्वरुप	1.5.1.4	54
लेखापरीक्षा पश्चात घाटे के संकेतक	1.5.2	55
राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.5.3	56
ऋण स्थिरता विश्लेषण (डीएसए)	1.5.4	60
प्रत्याभुतियों की स्थिति – आकस्मिक देनदारियां	1.5.5	63
राजकोषीय स्थिरता के मार्ग	1.5.6	64
राज्य के राजस्व में सुधार	1.5.6.1	65
व्यय पक्ष से संबंधित मुद्दे	1.5.6.2	67
निष्कर्ष	1.6	71
सकारात्मक पहलू	1.7	72
सिफारिशे	1.8	72

विवरण	अनुच्छेद	सन्दर्भ पृष्ठ संख्या
अध्याय II: बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	2.1	75
बजट अनुमान तथा प्रत्याशित और वास्तविक व्यय के मध्य अंतर	2.2	76
बजटीय प्रावधानों और व्यय का घटक-वार/सेवा-वार विश्लेषण	2.2.1	80
बजट की सटीकता	2.3	81
विनियोग लेखे	2.4	82
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया	2.5	82
कानून के प्राधिकार के बिना किया गया व्यय	2.5.1	82
आधिक्य और उसका नियमितीकरण	2.5.2	83
कुछ अनुदानों में निरंतर अधिक व्यय	2.5.2.1	84
अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए	2.5.3	86
अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन	2.5.4	88
अव्ययित राशि एवं अभ्यर्पित विनियोग तथा/या बड़ी बचते/अभ्यर्पण	2.5.5	89
राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण	2.5.6	98
बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ और उनके कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उनका वास्तविक वित्तपोषण	2.5.7	99
त्रैमासिक व्यय सीमा का पालन न करना	2.5.8	100
राज्य में चयनित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन	2.6	105
चाइल्ड बजट	2.7	107
जेंडर बजट	2.8	109
आकस्मिकता निधि	2.9	111
निष्कर्ष	2.10	112
सकारात्मक पहलू	2.11	112
सिफारिशें	2.12	112
अध्याय-III: वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाएं		
राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों के माध्यम से बजट से इतर उधार	3.1	115
सरकार की अनुन्मोचित देनदारियां	3.2	118
अनुन्मोचित ब्याज देनदारियां	3.2.1	119
नवीन पेंशन योजना के अंशदान का एनएसडीएल को हस्तांतरित न करना	3.2.2	119
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का कम हस्तांतरण	3.2.3	120
राष्ट्रीय/ राज्य स्वनिज अन्वेषण न्यास निधि	3.2.4	121
राजस्थान गौ संरक्षण और संवर्धन निधि में कम हस्तांतरण	3.2.5	122
राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि में कम हस्तांतरण	3.2.6	123
जल संरक्षण उपकर का कम हस्तांतरण	3.2.7	124
नगरीय विकास उपकर निधि का कम हस्तांतरण	3.2.8	126
प्रतिदाय के बकाया प्रकरण	3.2.9	127
सरकारी लेखों के बाहर रही निधियाँ	3.3	127
उपभोक्ता कल्याण निधि	3.3.1	127
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी	3.4	128
सारांशीकृत आकस्मिक बिल	3.5	132

विवरण	अनुच्छेद	सन्दर्भ पृष्ठ संख्या
निजी निक्षेप खाते	3.6	134
लघु शीर्ष-800 का संचालन	3.7	138
प्रमुख उचंत तथा डीडीआर शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष	3.8	141
विभागीय आंकड़ों का मिलान	3.9	144
नगद शेषों का मिलान	3.10	145
लेखांकन मानकों की अनुपालना	3.11	145
स्वायत्त निकायों के लेखों का प्रस्तुतीकरण	3.12	146
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि	3.13	148
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	3.14	149
निष्कर्ष	3.15	150
सकारात्मक पहलू	3.16	150
सिफारिशें	3.17	151
परिशिष्ट		
राज्य सरकार के वित्तीय साधनों पर समय श्रेणी आंकड़ें	1.1	153
वर्ष 2024-25 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.2	157
31 मार्च 2025 को राजस्थान सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	1.3	160
राजकोषीय मापदंडों का एफआरबीएम लक्ष्य 2015-2025 के साथ अनुपालन	1.4	162
ऐसे मामले जहाँ अनूपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए	2.1	163
ऐसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹10 करोड़ या उससे अधिक) अत्यधिक साबित हुए	2.2	164
निधि का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.3	166
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अभ्यर्पण के बाद बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान	2.4	167
वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरंतर बचत वाले अनुदान	2.5	168
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बजट के उपयोग और बचत का अनुदानवार प्रतिशत	2.6	169
बचतें जिसका अभ्यर्पण नहीं किया गया	2.7	171
मार्च 2025 के अंतिम दिन ₹ 50 करोड़ से अधिक की राशि का अभ्यर्पण	2.8	173
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय में गलत वर्गीकरण	2.9	175
संशोधित अनुमान में प्रावधान कम/कोई बदलाव नहीं (10 करोड़ से अधिक) लेकिन कोई व्यय नहीं हुआ	2.10	176
नीतिगत घोषणाएँ जिनमे संशोधित परिव्यय में पूर्ण बजट राशि वापस की गई	2.11	178
पिछले वर्षों के बजट भाषणों में की गई घोषणाओं का कार्यान्वयन न होना	2.12	184
उप-शीर्ष जहां संपूर्ण व्यय मार्च 2025 में किया गया	2.13	187
वर्ष 2024-25 के दौरान सभी प्रमुख अनुदानों के लिए तिमाही वार व्यय	2.14	188
31 मार्च 2025 तक सीएसएस योजनाओं के एसएनए बैंक खाते में शेष	2.15	190
चाइल्ड बजट के अंतर्गत उन योजनाओं का विवरण जिनमें व्यय कम हुआ	2.16	192
जेंडर बजट की योजनाओं जिनमें कोई व्यय नहीं हुआ	2.17	194
योजनायें जहाँ बजट अनुमान में प्रावधान किए गए, जिन्हें संशोधित अनुमानों में कम कर दिया गया	2.18	198

विवरण	अनुच्छेद	सन्दर्भ पृष्ठ संख्या
ऐसे मामले जिनमें पिछले दो/तीन वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया	2.19	200
नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान और निवेश का विवरण	3.1	202
एसी बिलों का विवरण जिनमें चालान के माध्यम से महत्वपूर्ण/सम्पूर्ण राशि वापस जमा की गई	3.2	203
31 मार्च 2025 तक ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक शेष राशि वाले पीडी खातों का विवरण	3.3	205
आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिनके निजी निक्षेप खाते में वर्ष 2024-25 के दौरान "शून्य"राशि शेष रही	3.4	206
वर्ष 2023-2025 के दौरान निजी निक्षेप खातों का संचालन न होना	3.5	211
वर्ष 2024-25 के दौरान लघु मद 800-अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण	3.6	213
जिले-वार प्रतिकूल अवशेष	3.7	216
स्वायत्त निकायों के प्रदर्शन को दर्शाने वाला विवरण	3.8	218
स्वायत्त निकाय और प्राधिकरण जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए	3.9	219